(b) whether it is also a fact that the conspiracy aimed at destroying the national unity was encouraged by the Janata and Lok Dal Governments;

(c) whether Government are taking necessary steps to contain this; and

(d) if so, the progress made so far in this direction?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) to (d). Allegations in this regard have been made. However, it is not easy to get conclusive proof in such matters. Government are keeping a careful watch over the situation.

पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बस्ती जिला में उद्योगों की स्थापना

231. **श्री के. सी. पाण्डेय** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से उद्योग लगाने का विचार है;

(ग) क्या बस्ती पिछड़ा जिला है और यदि हां, तो वहां कौन-कौन से उद्योग लगाने का विचार है; और

(घ) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए क्या-क्या सुविधाएं देने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना): (कछ से (घ). पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बस्ती, देवरिया, फैजबाद, गाजीपुर, गौंडा और जौनपुर को उद्योग स्थापित करने के लिए रियायती वित्त तथा अन्य सुविधाएं पाने की पात्रता हेतु औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र समझा गया है। इन जिलों में से, बलिया, बस्ती तथा फैजबाद को केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अन्तर्गत लाभ पाने के लिए चुना गया है। केन्द्र सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए निम्नलिखित प्रदान करती है:—

(1) निवेश राज सहायता की केन्द्रीय योजना।

(2) अखिल भारतीय सावधिक ऋण देने वाले वित्तीय संस्थाओं से निर्धारित किये गये हैं।

(3) कर संबंधी रियायतें।

(4) लघु उद्योगों द्वारा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से मशीनरी की किराया खरीद।

(5) तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श ।

(6) ब्याज राज सहायता ।

(7) कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधायें ।

(8) ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम ।

(9) ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम ।

(10) जिला उद्योग केन्द्र ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए वर्ष 1978 में 1 आशय पत्र और 6 औद्योगिक लाइसेंस तथा 1979 में 3 आशय पत्र और 2 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं । किन्तु, बस्ती में उद्योगों की स्थापना के लिए वर्ष 1978-79 में कोई आशयपत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया था। किसी क्षेत्र का विकास करना राज्य सरकार का विषय है तथा यह बात जनता पर निर्भर करती है कि वह केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं तथा प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए आगे आये।

पार्टी का नाम, बनाई जाने वाली वस्तु, क्षमता, एकक के स्थान आदि सहित उन आशयपत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा वीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेंसेज, एक्सपोर्ट लाइसेंसेज एण्ड इन्डस्ट्रियल लाइसेंसेज में तथा इंडियन इन्वेस्टमेंट सेन्टर द्वारा प्रकाशित "मन्थली न्यूज लेटर" के परिशिष्ट में प्रकाशित किया जाता है । इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।